(173)

(296)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

रमाकान्त तिवारी तनय स्व0 बिहारी प्रसाद तिवारी उम्र– 68 वर्ष पेशा– खेती निवासी ग्राम रौरा, तह0 हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) ....*निगरानीकर्ता*

बनाम

बालमीक प्रसाद मिश्रा तनय स्व0 रामानुज मिश्रा उम्र–62 वर्ष पेशा– पेंशनर एवं खेती निवासी ग्राम रौरा, तह0 हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)....................*गैर निगरानीकर्ता*

निगरानी विरुद्ध सीमांकन आदेश दिनांक 17.07.13 सीमांकन प्रकरण कमांक 5/अ–12/2012–13 राजस्व निरीक्षक सर्किल गोविंदगढ़ तह0 हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:–

1– यह कि गैर निगरानीकर्ता द्वारा अपनी भूमि खसरा कमांक 1029 व 1030 रकवा कमशः 0.050 व 0.085 हे0 के सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया था जिसका सीमांकन दिनांक 21.04.2013 को राजस्व निरीक्षक सर्किल गोंविंदगढ़ तह0 हुजूर जिला रीवा द्वारा किया गया।

2– यह कि उक्त सीमांकन प्रारंभ करने के पूर्व राजस्व अभिलेखों में से नक्शे का भूमि के अनुरूप होना अत्यन्त आवश्यक है। नक्शे की माप के अनुसार मौके पर भूमि का नाप किया जाता है किन्तु उक्त सीमांकन के पूर्व न तो नक्शे में भूमि के रकवे के मुताबिक बटा नंबर के अनुसार नक्शा तर्मीम किया गया व न ही बटा नंबर कायम किये गये। जबकि राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने सीमांकन प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1 में विवादित भूमियों में बटा नंबर लेख किया गया। बावजूद इसके मनमाफिक विधि विरुद्ध आवेदक के प्रभाव के चलते त्रुटिपूर्ण सीमांकन किया गया जो काबिल निरस्तगी है।

(172)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 3755- III/13 जिला रीवा

रमाकान्त तिवारी विरूद्ध बाल्मीक प्रसाद मिश्रा

1	2	3
16-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री विवेक कु० मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त गोविन्दगढ़ तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 5/31-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 17.07.13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	